अध्याय III

वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का विहंगावलोकन एवं राज्य सरकार द्वारा इसके अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 व्यक्तिगत जमा खाते/व्यक्तिगत बही खाते

बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0) के नियम 338 से 344 के अनुसार व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाते का उपयोग समेकित निधि से निधि स्थानांतरित कर उन विशेष मामले में उपयोग किया जाता है जहाँ लोकहित में तेजी से व्यय करना आवश्यक हो तथा जो सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव न हो या लघु लाभार्थियों की बड़ी संख्या सूदूर तक फैली हुई हो जिनको कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष संवितरण व्यवहार्य न हो। पी0डी0 के प्रशासकों को वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खाते की समीक्षा करना है तथा पाँच लगातार वित्तीय वर्षों (उस वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई थी)[1] तक की अव्ययित राशि को संबंधित सेवा शीर्ष जिसमें से निधि का आहरण हुआ था, के व्यय में कटौती के रूप में समेकित निधि में वापस कर देना अपेक्षित है।

3.1.1 व्यक्तिगत जमा खाते में अव्ययित शेष

पी0डी0 खातों को खातों के प्रशासक के नाम से कोषागार में रखा जाता है। ये खाते वित्त विभाग की सहमति और महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को सूचित कर खोले जाते हैं। 75 कोषागारों द्वारा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार 19 कोषागारों[2] में पी0डी0 खाते संधारित नही हैं। 31 मार्च, 2019 तक मौजूदा 175 पी0डी0 खातों में ₹ 4,377.12 करोड़ अवशेष था। वर्ष के दौरान एक पी0डी0 खाता खोला गया और किसी भी खाते को बंद नहीं किया गया जैसा कि **तालिका 3.1** में विस्तृत है।

तालिका 3.1: वर्ष 2018–19 के दौरान पी0डी0 खाता का विवरण

(₹ करोड़ में)

01.04.2018 को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बंद/संवितरित		31.03.2019 को अंत शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
174	5,888.45	1	1,417.50	0	2,928.83	175	4,377.12

वर्ष के दौरान लेन–देन (जमा/नामे) स्तंभ 'वर्ष के दौरान वृद्धि' तथा 'वर्ष के दौरान बंद/संवितरित' के अंतर्गत दर्शाये गये हैं।

(स्रोतः वर्ष 2018–19 का वित्त लेखे)

वर्ष 2017–18 में नौ कोषागारों नें प्रतिवेदित किया कि नौ पी0डी0 खातों में ₹ 65.77 करोड़ की शेष राशि पिछले पाँच वर्षों से अव्ययित पड़ी है। इनमें से किसी भी कोषागारों ने इस राशि को संबंधित लेखा शीर्ष (मुख्य शीर्ष 2029) के व्यय में कटौती के रूप में राज्य के समेकित निधि में वर्ष 2018–19 के दौरान वापस करने की सूचना प्रदत्त नहीं की।

इसलिए इसका कोई आश्वासन नहीं है कि राशि को वास्तव में संबंधित लेखा शीर्ष के व्यय में कटौती के रूप में समेकित निधि में वापस की गई है।

[1] बिहार सरकार के अधिसूचना सं0 6679 दिनांक 23.08.2016 ।

[2] बिहार भवन, नई दिल्ली, दलसिंहसराय, डुमरॉव, हिलसा, लालगंज, मसौढ़ी, मोकामा, पूपरी, राजगीर, रजौली, रोसड़ा, सचिवालय कोषागार (विकास भवन, पटना), शाहपुर पटोरी, सिकहरना, टेकारी, नौगछिया, ई–कोषागार, उदाकिशनगंज और त्रिवेणीगंज।

3.1.2 अपरिचालित व्यक्तिगत जमा खाते

47 कोषागारों में 175 पी0डी0 खातों में से 95 पी0डी0 खाते विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में विस्तृत है। इन 95 अपरिचालित पी0डी0 खातों में से 90 में शेष शून्य और पाँच[3] पी0डी0 खातों में ₹ 27.73 करोड़ की राशि मार्च 2019 के अन्त तक अव्ययित पड़ी थी। इन 95 निष्क्रिय पी0 डी0 खातों को बिहार सरकार के पत्र[4] के अनुसार बंद नहीं किया गया था, हालांकि वे मार्च 2019 के अंत में बंद होने योग्य थे।

पी0डी0 खातों के शेष राशि का समय–समय पर समाशोधन नहीं होने और पी0डी0 खातों में पड़े अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व तक संचित निधि में वापस नहीं किये जाने से लोक निधि के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

3.1.3 वैयक्तिक बही खाता

बिहार कोषागार संहिता (संशोधन)[5] अधिनियम, 2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित स्पेशल परपस व्हीकल, बोर्ड, प्राधिकार, एजेन्सी एवं सोसायटी आदि जो किसी रूप में (यथा अनुदान, ऋण, सेंटेज पर किया गया कार्य इत्यादि) राशि प्राप्त करते हैं उसका वैयक्तिक बही खाता (पी0 एल0 खाता) कोषागार में खोला जायेगा। पी0डी0 खाते का संचालन अधिकृत पदाधिकारी द्वारा गैर सरकारी चेक के माध्यम से होगा। राज्य सरकार किसी भी संस्था और किसी विशेष योजना की राशि को पी0 एल0 खाता में रखने से छूट दे सकती है। राज्य सरकार इन संस्थाओं के मौद्रिक तरलता को बनाये रखने के लिए पी0 एल0 खाता से किश्त में राशि की निकासी कर बैंक खाता में रखे रहने का आदेश दे सकती हैं। वित्त विभाग पी0 एल0 खाता से विशेष परिस्थितियों में राशि जमा करने या निकालने के लिए प्रक्रिया बना सकता है। आगे, बिहार सरकार के संकल्प (सितम्बर 2016) द्वारा, विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सभी निगमों/बोर्डों/सोसाईटीयों/एजेंसियो/प्राधिकारों इत्यादि के बैंक खातों में जमा राशि उनके पी0एल0 खाता में 30 अप्रैल 2015 तक स्थानान्तरित किया जाना चाहिए और तत्पश्चात समस्त व्यय पी0एल0 खाते से किया जाना है।

पी0 एल0 खाते का उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2019 को 68 कोषागारों में 261 पी0 एल0 खाते अस्तित्व में थे। छः कोषागारों में सात पी0 एल0 खाते पाँच साल या उससे अधिक वर्षों से 2018–19 तक अपरिचालित थे तथा ₹ 35.47 करोड़ की राशि इन पी0 एल0 खातों में पड़ी थी, जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 31.03.2019 तक अपरिचालित पी0 एल0 खातों की सूची

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कोषागार के नाम	प्रशासक	अवधि	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दरभंगा	डी आर डी ए दरभंगा (विघटित)	2013–19	19.09
2.	फारबिसगंज	पंचायत समिति, भरगामा	2013–19	0.12
3.	फारबिसगंज	फारबिसगंज, पंचायत समिति	2013–19	0.07
4.	झंझारपुर	पंचायत	2013–19	19.09
5.	कटिहार	जिला शिक्षा कोष	2013–19	21.54

[3] डी0एम0, बाँका (₹ 25.30 करोड़), डी0एम0, भोजपुर (₹ 0.20 करोड़) डी0डी0सी0, कटिहार (₹ 1.50 करोड़), डी0एम0, पटना (₹ 0.66 करोड़) एवं डी0एम0, वैशाली (₹ 0.07 करोड़)

[4] जी.ओ.बी. पत्र सं0– 11262 दिनांक– 5.10.2010

[5] अधिसूचना सं0 एम. 4.12/2013 (भाग– I) 6487/एफ दिनांक: 21.07.2014 वित्त विभाग, जी0ओ0बी0

क्रम संख्या	कोषागार के नाम	प्रशासक	अवधि	राशि
6.	रोहतास	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2013–19	7.65
7.	सिंचाई भवन, पटना	बिहार राज्य जल विद्युत उर्जा निगम लिमिटेड पटना	2014–19	3,478.98
	योग			**3,546.54**

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा प्रदत आँकड़े)

आगे, निम्नलिखित अनियमिततायें पी0 एल0 खातों में पायी गयी :

- वित्त विभाग, बिहार सरकार (सितम्बर, 2016) ने निर्देश दिया कि कार्यकारी एजेंसियों को केवल वही राशि उनके पी0एल0 खाते में अंतरित की जायेगी जिसे एजेन्सी द्वारा स्वयं उनके पी0एल0 खाते द्वारा व्यय की जानी हो और किसी अन्य कार्यकारी एजेन्सी को अपने पी0एल0 खाते से राशि का अन्तरण नहीं करेंगें। पी0एल0 खाता को डाकघर के रूप में काम नहीं करना चाहिए।

 लेखापरीक्षा मे पाया गया कि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड (बि0आर0बी0एन0एल0), पटना को डीजल अनुदान के लिए कृषि निदेशालय से उनके पी0एल0 खाता (पी0एल0 खाता – 271) में ₹ 285 करोड़ प्राप्त हुआ। बि0आर0बी0एन0एल0, पटना ने अपने पी0 एल0 खाता से ₹ 235 करोड़ अपने पंजाब नेशनल बैंक (पी0एन0बी0) के खाता में स्थानांतरित किये तथा ₹ 310 करोड़ (डीजल अनुदान के ₹ 235 करोड़ तथा कृषि इनपुट के ₹ 75 करोड़) को अपने पंजाब नेशनल बैंक के खाते से कृषि निदेशालय के एच0डी0एफ0सी0 बैंक के खाता में डीजल अनुदान के लिए स्थानांतरित किये। इस प्रकार, बि0आर0बी0एन0एल0, पटना ने वित्त विभाग के पत्रांक[6] के उल्लघंन में स्वयं, राशि का उपयोग नहीं कर पाया। आगे, यह भी पाया गया कि कृषि इनपुट के ₹ 75 करोड़ के राशि का विचलन कर डीजल अनुदान के लिए निदेशक, कृषि को स्थानांतरित किया गया।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि उद्योग विभाग के अंतर्गत एक संस्था उद्योग मित्र ने 31 मार्च 2019 तक 10 बैंको में स्वयं के 13 चालू खातों तथा दो स्वीप खातों में ₹ 65.59 करोड़ की राशि रखी थी तथा वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार उक्त राशि को अपने पी.एल. खाता में स्थानांतरित नहीं किया।

 संस्था ने अपने जवाब (अक्टूबर 2019) में बताया कि वे बिहार सरकार के दिशानिर्देश से अवगत नहीं थे।

- शिक्षा विभाग में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (बि0एस0ई0आई0डी0सी0) के बैंक खातें में 31 मार्च 2019 तक ₹ 287.92 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी हुई थी। हालांकि, उक्त राशि वित्त विभाग के संकल्प (अप्रैल 2015) के उल्लघंन में पी0एल0 खाता में स्थानांनतरित नहीं की गयी थी।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सभी पी0डी0/पी0एल0 खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि इन खातों में अनावश्यक पड़ी हुई राशि को शीघ्र समेकित निधि में प्रेषित कर दिया जाय।*

3.2 भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (भ0अ0नि0श्र0) कल्याण बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2008 में जारी अधिसूचना[7] के आधार पर गठित किया गया था। बोर्ड का मुख्य कार्य, राज्य के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष के दौरान, राज्य में भारत सरकार, बिहार सरकार, अर्द्ध–सरकारी और निजी क्षेत्रों के अधीन चलाये जा रहे निर्माण कार्यों पर किये गये कुल व्यय का एक प्रतिशत संग्रहित कर बोर्ड को राशि प्रदान की जाती है।

[6] पत्रांक 3608 दिनांकः 09.04.2015 और 7280 दिनांकः 14.09.2016।

[7] अधिसूचना नं0 04/एफ1.302/2006/एल0ई0 865 दिनांकः 18.02.2008।

विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर को लघु शीर्ष 8443–सिविल जमा–108–लोक निर्माण कार्य जमा में लेखांकित किया जा रहा था जिसमें श्रम उपकर के अलावे कई अन्य प्राप्तियाँ थीं। इसके फलस्वरूप, विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की राशि को निर्धारित नहीं किया जा सका। हालांकि, सरकार द्वारा जून 2019 में विभिन्न विभागों के द्वारा निष्पादित श्रम से संबंधित परियोजनाओं से संग्रहित श्रम उपकर को लेखांकित करने के लिए एक अलग उप–शीर्ष 8443–00–108–0004 खोला गया है।

3.2.1 श्रम उपकर के अधीन व्यय

भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना (जनवरी 2020) के अनुसार उनके लेखाओं को वर्ष 2015–16 तक ही अंतिमीकरण किया गया है।

2018–19 के अवधि के श्रम उपकर के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि 01 अप्रैल 2018 के आरंभिक शेष (₹ 1,186.38 करोड़) तथा 31 मार्च 2018 के अंतशेष (₹ 1,099.06 करोड़) के मध्य ₹ 87.32 करोड़ का अंतर था। इसे इंगित किये जाने पर बोर्ड ने बताया (जनवरी 2020) कि 2017–18 के अंतशेष में ₹ 87.32 करोड़ के ब्याज की राशि को समाहित नहीं किये जाने के कारण अंतर था।

2018–19 के दौरान ₹ 520.30 करोड़ के कुल प्राप्तियों में से ₹ 360.06 करोड़ श्रम उपकर के रूप में प्राप्त हुआ। इसमें से वर्ष के दौरान ₹ 83.39 करोड व्यय किये गये थे जिसमें कल्याणकारी योजनाओं (₹ 80.81 करोड़), प्रशासनिक व्यय (₹ 2.56 करोड) तथा बैंक प्रभार (₹ 0.02 करोड) पर किया गया व्यय शामिल था। योजनावार व्यय **तालिका 3.3** में विस्तृत हैं:

तालिका 3.3: 2018–19 के दौरान विभिन्न श्रम कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	एकल लाभुक के लिए निर्धारित दर	लाभुक की संख्या	कुल व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	विवाह के लिए वित्तीय सहायता	0.5 लाख	341	170.50
2	मातृत्व लाभ	0.1 लाख	46	4.60
3	मृत्यु लाभ	प्राकृतिक मृत्यु के लिए ₹1.00 लाख, 02.06.2019 से प्राकृतिक मृत्यु के लिए ₹ 2.00 लाख और दुर्घटना से मृत्यु के लिए ₹ 4.00 लाख	59	110.00
4	अंतिम संस्कार सहायता	0.01 लाख 01.10.2018 से 0.05 लाख	37	0.37
5	मकान की मरम्मत के लिए अनुदान	0.20 लाख	371	74.20
6	विकलांगता भत्ता	0.01 लाख	11	1.32
7	वार्षिक चिकित्सा सहायता	0.03 लाख	2,57,345	7,720.35
योग			**2,58,173**	**8,081.34**

(स्रोतः बोर्ड द्वारा प्रदत आँकड़े)

बोर्ड के कुल ₹ 1,706.68 करोड़ के उपलब्ध निधि में से केवल ₹ 83.39 करोड़ (4.89 प्रतिशत) का व्यय किया गया। बोर्ड के द्वारा कुल मिलाकर 15[8] कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही थी, लेकिन व्यय केवल सात योजनाओं पर किया गया जिससे 2,58,173 श्रमिकों (कुल 13,87,686 पंजीकृत श्रमिकों का 18.60 प्रतिशत) को लाभ पहुंचाया गया। बिहार सरकार के राजपत्र अधिसूचना[9] के अनुसार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से "वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना" के अंतर्गत प्रत्येक योग्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के खाते में ₹ 3,000 की राशि अंतरित की जानी थी। हालांकि, वर्ष के दौरान कुल पंजीकृत श्रमिकों में से केवल 2,57,345 श्रमिकों (18.54 प्रतिशत) को ही वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

कल्याण बोर्ड ने अपने जवाब (दिसम्बर 2019) में बताया कि शेष पंजीकृत निर्माण कामगारों को उनके बैंक खातों की वांछित जाँच के बाद वार्षिक चिकित्सा सहायता के अंतर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।

3.2.2 रोकड़ बही में अनियमिततायें

भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड 14 सहायक रोकड़ बही (बैंक खातावार) संधारित कर रहा था लेकिन कोई समेकित सामान्य रोकड़ बही संधारित नहीं था। 31 मार्च 2019 को, 14 सहायक रोकड़ बहीओं का कुल अंतशेष ₹ 503.04 करोड़ था वहीं बैंक खातों का कुल अंतशेष ₹ 531.66 करोड़ था, परिणामस्वरूप, ₹ 28.62 करोड का अंतर था। इसमें 2014–15 से एस0बी0आई0 खाता सं0 30422296857 से संबंधित सहायक रोकड़ बही का ₹ 1.84 करोड़ का अंतर भी शामिल था जैसा कि बैंक समाशोधन विवरणी में दृष्टव्य है। बोर्ड ने बताया कि अंतर को निबटाने के लिए बैंक से पत्राचार किया जा रहा है।

वित्त विभाग द्वारा (अक्टूबर 2007) सूचित किया गया था कि सरकारी राशि के अंतरण पर बैंकों द्वारा कोई भी प्रभार नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि देखा गया कि छः बैंक खातों से बैंक प्रभार के रूप में ₹ 0.02 करोड़ कटौती की गयी थी। बोर्ड ने बताया कि बैंक प्रभार के रूप में कटौती की गयी राशि वापस करने के संबंध में बैंक से पत्राचार (अक्टूबर 2018 और जून 2019) किया गया हैं।

अनुशंसा: *बिहार भ0अ0नि0श्र0 कल्याण बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ससमय लेखा तैयार हो तथा प्रासंगिक अभिलेख का संधारण हो ताकि भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों की कार्यदशा में सुधार तथा उनके लिये लागू योजनाओं के अधीन उचित वित्तीय सहायता प्रदान करने के अधिदेश को पूरा किया जा सके।*

3.3 लेखाओं में अपारदर्शिता

अन्य प्राप्तियाँ और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 केवल तभी व्यवहार में लाने हेतु है जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना है चूँकि यह अस्पष्ट लेखे को प्रस्तुत करता है क्योंकि ऐसे शीर्ष, संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को प्रकट नहीं करते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2018–19 के दौरान राजस्व एवं पूँजीगत व्यय पक्ष के 12 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 120.65 करोड़ (₹ 1,45,955.06 करोड़ के कुल व्यय का 0.08 प्रतिशत) को संबंधित मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।

[8] साईकिल क्रय के लिए अनुदान, औजारों के क्रय हेतु अनुदान, लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता, पारिवारिक पेंशन, नकद पुरस्कार, शिक्षा तथा पितृत्व लाभ हेतु वित्तीय सहायता।

[9] एस0ओ0 257 दिनांक 4 अक्टूबर 2018 तथा 268 दिनांक 31 अक्टूबर 2018।

इसी प्रकार, प्राप्ति पक्ष के 43 मुख्य शीर्षों के अधीन (सहायता अनुदान को छोड़कर) ₹ 1,460.41 करोड़ (₹ 1,31,793.45 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का 1.11 प्रतिशत) को संबंधित मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्षों '800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

व्यय एवं प्राप्तियों के पर्याप्त अनुपात (संबंधित मुख्य शीर्ष के अधीन प्राप्ति व्यय का 10 प्रतिशत या अधिक) को लघु शीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियों/व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत प्राप्तियों एवं व्यय के उदाहरण क्रमशः ***परिशिष्ट 3.2 एवं परिशिष्ट 3.3*** में विस्तृत हैं।

बड़ी राशियों का वर्गीकरण सर्वव्यापी लघु शीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियों/व्यय' के अंतर्गत करने से वित्तीय विवरणी में पारदर्शिता का अभाव प्रदर्शित हुआ।

अनुशंसा: *वित्त विभाग, महालेखाकार (ले0 एंव हक0) के परामर्श से सभी मदों की व्यापक समीक्षा करा सकता है जो वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित है और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी प्राप्तियों और व्ययों को उचित लेखा शीर्षों में लेखांकित किया जाए।*

3.4 मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष

निश्चित मध्यवर्गी /समायोजन शीर्ष जो 8658– उचंत शीर्ष से जाना जाता है, सरकारी लेखों में प्राप्तियों एवं व्यय के वैसे लेन देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित होता है जिसे उसके प्रकृति की जानकारी न होने के कारण एवं अन्य कारणों से सुनिश्चित लेखा शीर्ष में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। वित्त लेखा, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आँकड़ों की स्थिति **तालिका 3.4** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.4: उचंत एवं प्रेषण शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658–101–वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	296.05	0.00	335.27	0.00	314.56	0.00
निवल	**(नामे) 296.05**		**(नामे) 335.27**		**(नामे) 314.56**	
8658–102–उचंत लेखा (सिविल)	4,673.39	297.35	4,059.01	309.73	4,408.94	452.87
निवल	**(नामे) 4,376.04**		**(नामे) 3,749.28**		**(नामे) 3,956.07**	
8658–110–रिजर्व बैंक उचंत–केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1,265.00	894.60	1,276.72	894.62	1,280.04	894.61
निवल	**(नामे) 370.40**		**(नामे) 382.10**		**(नामे) 385.43**	
8782–102–लोक निर्माण प्रेषण	1,18,943.96	1,18,827.32	16,469.13	15,520.08	16,746.56	15,838.27
निवल	**(नामे) 116.64**		**(नामे) 949.05**		**(नामे) 908.29**	
8782–103–वन प्रेषण	2,535.84	2,318.34	2,779.39	2,535.37	3,146.33	2,937.60
निवल	**(नामे) 217.50**		**(नामे) 244.02**		**(नामे) 208.73**	

(स्रोतः वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 में 8658–102–उचंत लेखा (सिविल) के अन्तर्गत ₹ 206.79 करोड़ (नामे), 8658–110–रिजर्व बैंक उचंत–केन्द्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹ 3.33 करोड़ (नामे) की निवल

वृद्धि और 8658–101–वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत के अन्तर्गत ₹ 20.71 करोड़ (नामे), 8782–102–लोक निर्माण प्रेषण के अन्तर्गत ₹ 40.76 करोड़ (नामे) एवं 8782–103–वन प्रेषण के अन्तर्गत ₹ 35.29 करोड़ (नामे) की कमी हुई।

यदि ये राशियाँ अस्पष्ट रह जाती हैं तो उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित हो जाएगी तथा सरकार के व्यय का सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत नहीं करेगी।

अनुशंसा: *उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष के समाशोधन के लिए वित्त विभाग द्वारा संबद्ध इकाई की मदद से प्रबल रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।*

3.5 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण में विलंब

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के साथ पठित धारा 129(2) के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात 30 सितम्बर के अंत तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर कम्पनी का प्रत्येक जबाबदेह अधिकारी जो ऐसी चूक करता है, उस पर एक वर्ष तक के लिए बढ़ाये जाने वाले कारावास से या अर्थदण्ड जो 50 हजार रूपये से कम न हो और जिसे पाँच लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों के दण्ड का प्रावधान है। इस प्रकार, सरकारी कम्पनियों के प्रबंधन, जिनके लेखे बकाया में हैं इस तरह के किसी भी डिफॉल्ट के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। आगे, 1977 में निकाय के रूप मे गठित लेखा मानक बोर्ड (ए0एस0बी0) के पर्यवेक्षण में निर्गत भारतीय लेखा मानक (भा0ले0मा0) को भारत में कम्पनियों द्वारा अपनाया गया है। हालांकि वर्त्तमान में भा0ले0मा0 केवल छः सा0क्षे0उ0[10] पर ही लागू है।

सितम्बर 2019 तक बिहार में कुल 78 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा0क्षे0उ0) थे जिसमें 31 कार्यशील कंपनियाँ, तीन सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) और 44 अकार्यशील कंपनियों के अंतर्गत परिसमापन के तहत पाँच कंपनियाँ भी शामिल थी।

3.5.1 कार्यशील कंपनियों के बकाये लेखे

30 सितम्बर 2019 तक, 34 कार्यशील सा0क्षे0उ0 (सांविधिक निगम के सहित) में से, केवल एक सा0क्षे0उ0[11] ने 2018–19 के लेखे का अन्तिमीकरण किया था जबकि 15 सा0क्षे0उ0 के एक वर्ष के लेखे का बकाया था। बचे हुए 18 सा0क्षे0उ0[12] के लेखे का बकाया 2 से 16 वर्ष का था। कुल मिलाकर कार्यशील सा0क्षे0उ0 के 136 लेखे का बकाया था जो ***परिशिष्ट 3.4*** में विस्तृत है।

लेखों के अन्तिमीकरण में विलंब के परिणामस्वरूप समयावधि के पश्चात् महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की अनुप्लब्धता या हानि हो सकती है जो कि तथ्यों की गलत प्रस्तुतिकरण व्याख्या, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन की संभावना से भरा हुआ है।

[10] बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमीशन कम्पनी लिमिटेड तथा बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड।

[11] बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

[12] प्रतिवर्ष एक खाते की दर से।

3.5.2 अकार्यशील कंपनियों, के बकाये लेखे

उपरोक्त के अतिरिक्त 30 सितम्बर 2019 तक, सभी अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखे बकाये थे। 44 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से पाँच सा0क्षे0उ0[13] विघटन की प्रक्रिया में थे। शेष 39 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के 1,084 लेखे बकाये थे। बिहार राज्य कृषि उद्योग लिमिटेड के एक वर्ष के लेखे बकाये थे, जबकि स्काडा कृषि व्यापार निगम लि0 तथा बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड, प्रत्येक के चार वर्ष के लेखे बकाये थे जबकि शेष 36 सा0क्षे0उ0 में 1,056 लेखे 10 से 42 वर्षों के लिए बकाये थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4*** में विस्तृत है।

लेखाओं के अंतिमीकरण नहीं होने के कारण नियंत्रक–महालेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कंपनियों के पूरक और निगमों से संबंधित निर्धारित अधिनियम के अनुसार उनके सांविधिक लेखापरीक्षा एक से लेकर 42 वर्षों की अवधि तक नहीं करवा सके।

3.5.3 बकाये लेखे वाले सा0 क्षे0 उ0 को बजटीय सहायता

इन सा0क्षे0उ0 के खातों के अभाव में जिससे उनकी वित्तीय सहायता हेतु माँगों के वास्तविकता का आकलन किया जा सके, सरकार ने 30 सा0क्षे0उ0 को नियमित बजटीय सहायता द्वारा ₹ 30,481.18 करोड़ (इक्विटी– ₹ 10,232.23 करोड़, ऋण– ₹ 3,171.54 करोड़, पूँजी अनुदान– ₹ 2,410.12 करोड़ और सब्सिडी– ₹ 7,914.08 करोड़) और स्वीकृत दायित्व (गारंटी)– ₹ 6,753.21 करोड़, प्रदान किया यधपि 31 मार्च 2019 तक उनके लेखे बकाये थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5*** में विस्तृत है। इन सा0क्षे0उ0 ने पिछले एक से 42 वर्षों तक अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया है जो कि कम्पनी अधिनियम/सांविधिक निगमों से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है। 17 सा0क्षे0उ0 के लेखे पाँच वर्ष से ज्यादा से बकाये थे। इन 30 सा0क्षे0उ0 में से 21 सा0क्षे0उ0 घाटे में चलने वाले थे। राज्य सरकार को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या यह व्यय धन–के–महत्व का है एवं क्या ऐसी सहायता को युक्ति–संगत रूप से पूँजीगत व्यय के इक्विटी एवं ऋण के अर्न्तगत प्रविष्ट किया जा सकता है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को उन सभी सा0क्षे0उ0 के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाये हैं, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक यथोचित अवधि तक इन लेखाओं को अद्यतन किया जाए, और उन सभी मामलों में जहाँ निरंतर, लेखे बकाये में हैं, वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए।*

3.6 उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अप्रस्तुतीकरण

बिहार वित्तीय नियमावली (बि0वि0नि0) का नियम 342 यह निर्दिष्ट करता है कि जहाँ सहायता अनुदान विशेष उद्देश्य हेतु प्रदान किया जाता है वहाँ संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) प्राप्त कर लेना चाहिए, जिसे सत्यापन के पश्चात् अनुदान के आहरण के 18 महीने के भीतर महालेखाकार (ले0 व हक0) को अग्रसारित कर देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस निधि का उपयोग अभिष्ट उद्देश्यों हेतु किया गया है।

हालांकि, यह पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक 33 विभागों में ₹ 55,405.09 करोड़ के 2,453 यू0सी0 लंबित थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.6*** में विस्तृत है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की वर्ष–वार स्थिति को **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है।

[13] बिहार फिनिस्ड लेदर लि0, बिहार राज्य लेदर उद्योग विकास कारपोरेशन लि0, कुमारधुवी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लि0, बिहार राज्य लघु उद्योग कारपोरेशन लि0, बिहार राज्य एक्सपोर्ट कारपोरेशन।

तालिका 3.5: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	वर्ष (*)	प्रतिक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	राशि
1.	2016-17 तक	1,812	19,847.73
2.	2017-18	484	17,895.52
3.	2018-19	157	17,661.84
योग		**2,453**	**55,405.09**

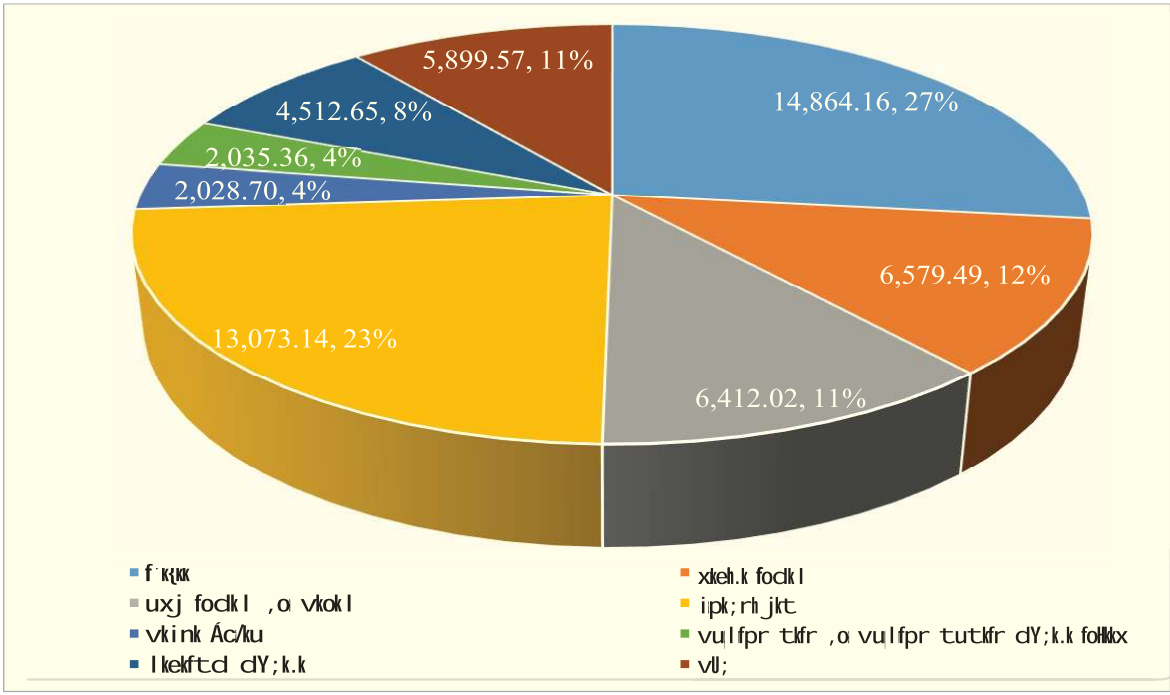
(* उपर्युक्त वर्णित वर्ष "लंबित वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात)

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से 89.35 प्रतिशत सात विभागों से संबंधित है जैसा कि **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (विभाग वार)

(₹ करोड़ में)



यद्यपि, उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अप्रस्तुतिकरण के दृष्टांत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में नियमित रूप से प्रस्तुत किये गये, फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। कई मामलों में, उन्हीं प्राप्तकर्ताओं ने लगातार उन्हीं विभागों से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किये, जबकि उनके पूर्व के अनुदान के यू0सी0 लंबित हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की उच्च लंबित संख्या से निधि के दुरूपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है।

पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदत सूचना के अनुसार वर्ष 2014–15 के कुल लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि ₹ 14,174.26 करोड़ से बढ़कर जून 2019 तक ₹ 17,119.88 करोड़ हो गयी। इनमें से ₹ 5,753.83 करोड़ की शत्–प्रतिशत लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र 14 विभिन्न योजनाओं से संबंधित थे। इसके अलावा, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के समायोजन किये बिना ₹ 13,240.39 करोड़ निर्गत किये गये। आगे, नौ योजनाओं जो प्रचलन में नहीं थे, के अन्तर्गत ₹ 1,724.54 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित था (11/07/2019 तक) जैसा कि **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: बंद योजनाओं की लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	बंद योजनाओं/शीर्षों के नाम	योजनाओं की अवधि	लंबित यू0सी0 की राशि
1	क्षेत्रीय पिछड़ा अनुदान निधि योजना (बी0आर0जी0एफ0)	2007-08 to 2014-15	250.03
2	बी0आर0जी0एफ0 *क्षमतावर्धक* (आई0टी0सेल)	2008-09 to 2015-16	3.02
3	बी0आर0जी0एफ0 *क्षमतावर्धक* (प्रशिक्षण)	2009-10 to 2014-15	33.18
4	एकीकृत कार्य योजना	2010-11	150
5	तृतीय राज्य वित्त आयोग	2007-08 to 2012-13	25.01
6	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	2011-12 to 2014-15	345.72
7	बारहवाँ वित्त आयोग	2005-06 to 2009-10	586.74
8	तेरहवाँ वित्त आयोग	2010-11 to 2015-16	283.58
9	*मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना*	2012-13 to 2014-15	47.26
कुल योग			**1,724.54**

लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र के अप्राप्ति के बावजूद अनुदान को निर्गत करने के संबंध में विभाग ने बताया (सितम्बर 2019) कि वित्त विभाग से अनुमोदन के पश्चात ही राशि निर्गत की गई थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अनुदान निर्गत करने की छूट (फरवरी 2019) इस शर्त पर विभाग को दी गई कि लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों को 31 मार्च 2019 तक समर्पित कर देना होगा। यद्यपि, विभाग द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासनिक विभाग निर्धारित समय सीमा में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संग्रहित करें तथा उस अवधि तक प्रशासनिक विभाग, दोषी अनुदानग्राहियों को आगे अनुदान जारी न करे।*

3.7 लंबित सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता (बि0 को0 सं0), 2011 का नियम 177 प्रावधानित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा कि सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र पर आहरित धन उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा तथा अव्ययित राशि को वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दी जाएगी। आगे, बि0 को0 सं0, 2011 के नियम 194 के अनुसार, जिस महीने में ए0सी0 विपत्र आहरित की गयी हो उसके छः माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित डी0सी0 विपत्र अभिश्रव सहित महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए तथा छः माह की अवधि की समाप्ति के बाद कोई ए0सी0 विपत्र आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि डी0सी0 विपत्र प्रस्तुत न किया जाए। डी0सी0 विपत्र की विलंब प्रस्तुति अथवा दीर्घकालीन प्रस्तुति ए0सी0 विपत्र के व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

31 मार्च 2019 तक समायोजन हेतु लंबित बकाया ए0सी0 विपत्रों का विवरण **तालिका 3.7** में प्रदर्शित है।

तालिका 3.7: ए0सी0 विपत्रों के आहरण और समायोजन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान आहरित ए0सी0 विपत्र		वर्ष के दौरान समायोजित डी0सी0 विपत्र		समायोजन के लिए लंबित ए0सी0 विपत्र	
	विपत्रों की संख्या	राशि	विपत्रों की संख्या	राशि	विपत्रों की संख्या	राशि
2016-17 तक	1,02,717	44,796.59	89,894	42,204.84	12,823	2,591.75
2017-18	1,540	2,906.91	281	313.71	1,259	2,593.20
2018-19	1,453	631.50	40	45.90	1,413*	585.60
योग	**1,05,710**	**48,335.00**	**90,215**	**42,564.45**	**15,495**	**5,770.55**

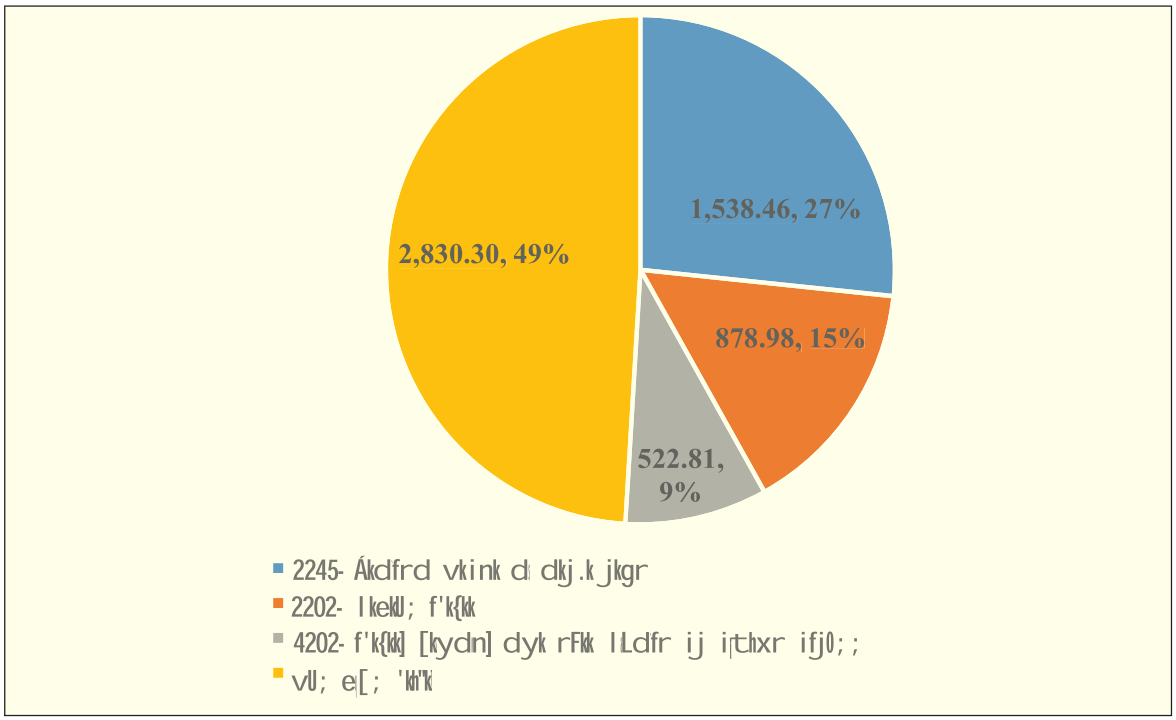
** 1,380 ए0सी0 विपत्रों में ₹ 553.20 करोड़ के 1,413 ए0सी0 विपत्र 31 मार्च 2019 के बाद तक देय होंगे।*
(स्रोत: वर्ष 2018–19 का वित्त लेखे)

यह देखा गया की वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 631.50 करोड़ के 1,453 ए0सी0 विपत्रों का आहरण किया गया था जिनमें से ₹ 296.97 करोड़ (वर्ष के दौरान ए0सी0 विपत्रों से आहरित कुल राशि का 47.03 प्रतिशत) के 1,140 विपत्रों का आहरण केवल मार्च 2019 में किया गया था एवं इसमें से ₹ 2.16 करोड़ के 28 ए0सी0 विपत्रों का आहरण वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन किया गया था। ₹ 585.60 करोड़ के 1,413 डी0सी0 विपत्र वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्त तक प्रस्तुत नहीं किये गये। इसलिए इसका कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 585.60 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उसी प्रयोजन के लिए व्यय की गई जिसके लिए स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। यह वर्ष 2018–19 में व्यय की एक संभावित अतिशयता है। आहरित अग्रिम जिसको लेखाबद्ध नहीं किया गया हैं, क्षति/गबन/दुष्कृत्य आदि की संभावना को बढ़ावा देता हैं।

₹ 5,770.55 करोड़ के कुल असमायोजित ए0सी0 विपत्रों में से ₹ 2,940.25 करोड़ (50.95 प्रतिशत) तीन मुख्य शीर्षों से संबंधित है जो कि **चार्ट 3.2** में विस्तृत है।

चार्ट 3.2: मुख्य शीर्ष–वार असमायोजित ए0सी0 विपत्र

(₹ करोड़ में)



अनुशंसा: *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि से परे लंबित ए0सी0 विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ए0सी0 विपत्रों को सिर्फ बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित नहीं किया जाए। वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ किया जा सकता है जो ए0सी0 विपत्रों पर निधि का आहरण सिर्फ बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए करते हैं।*

3.8 निवेशों/ऋणों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

सा0क्षे0उ0 द्वारा वित्त लेखे 2018–19 से संबंधित उपलब्ध कराये गये सूचना की संवीक्षा से पता चला कि आँकड़ों में अंतर था जैसा नीचे **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है (***परिशिष्ट 3.7*** में विवरण प्रदान किया गया है)।

तालिका 3.8: वर्ष 2018–19 के दौरान निवेशों/ऋणों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	ब्यौरा	वित्त लेखे के अनुसार आँकड़ें	सा0क्षे0प0 के अनुसार आँकड़ें	अंतर
1	निवेश	27,141.01	35,742.52	8,781.32
2	ऋण	4,074.64	4,858.55	3,410.45
3	प्रत्याभूतियों	5,034.60	4,923.11	5,252.45

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का वित्त लेखा एवं सा0क्षे0उ0 से प्राप्त सूचना)

निवशों, ऋणों तथा प्रत्याभूतियों के आँकड़े में पाए गए सभी अंतर समाशोधन के अधीन है।

अनुशंसा: *राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं को दी गई निवेशों, ऋणों और प्रत्याभूतियों से संबधित राज्य सरकार के अभिलेखों एवं लेखों में अंतरों के समाशोधन के लिए वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।*

3.9 जमा राशि पर ब्याज की कम अदायगी

राज्य सरकार को शीर्ष 8011–106–बीमा तथा पेंशन निधि (₹ 41.32 करोड़) एवं 8342–अन्य जमा–117– सरकारी कर्मचारी के लिए परिभाषित योगदान पेंशन योजना (₹ 86.96 करोड़) में 31 मार्च 2018 तक प्रदर्शित जमा शेष पर ब्याज देना अपेक्षित था। लोक खाते से संबंधित इन शीर्षों में कुल ₹ 128.28 करोड़ की राशि शेष थी। वर्ष 2018–19 में जमा राशि पर देय ब्याज ₹ 10.26 करोड़ के विरूद्ध ₹ 6.52 करोड़ का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप, 2018–19 के लिए राजस्व अधिशेष में ₹ 3.74 करोड़ का अतिशयता दर्शाया गया जैसा कि **कंडिका 3.11** में प्रदर्शित है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को सभी ब्याज निक्षेपों के संबंध में देय ब्याज दर्ज करनी चाहिए।*

3.10 सामान्य भविष्य निधि (सा0भ0नि0) पर ब्याज का समायोजन

राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज देयता का पूर्णतः निर्वहन नहीं किया है, जैसा कि **तालिका 3.9** में वर्णित है:

तालिका 3.9: सामान्य भविष्य निधि के तहत शेष राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

सा0भ0नि0 श्रेणी	2018–19 के प्रारंभ में शेष	बकाया ब्याज	जमा ब्याज
सामान्य भविष्य निधि	10,136.27	810.90	407.37
अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	214.55	17.16	12.00
कुल	**10,350.82**	**828.06**	**419.37**

(स्रोतः वर्ष 2018–19 का वित्त लेखे)

₹ 408.69 करोड़ के ब्याज के कम प्रावधान से निधि में प्रतिकूल संतुलन हो सकता है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2018–19 में राजस्व अधिशेष में ₹ 408.69 करोड़ का अतिशयता किया गया था जैसा कि **कंडिका 3.11** में दर्शाया गया है।

3.11 राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

वित्त लेखे के अनुसार, व्यय एवं राजस्व के गलत लेखांकन के प्रभाव के परिणामस्वरूप ₹ 600.75 करोड़, प्रत्येक को राजस्व अधिशेष में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई जिसे **तालिका 3.10** में दिया गया है:

तालिका 3.10: राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मद	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	
		अतिशयता	न्यूनोक्ति	अतिशयता	न्यूनोक्ति
1.	ब्याज वाहक आरक्षित निधि तथा जमा पर ब्याज का कम जमा किया जाना	3.74	-	-	3.74
2.	सामान्य भविष्य निधि (सा0भ0नि0) पर ब्याज का कम समायोजन	408.69	-	-	408.69
3	नई पेंशन योजना	188.32	-	-	188.32
कुल योग		**अतिशयता 600.75**		**न्यूनोक्ति 600.75**	

(स्रोत : वर्ष 2018–19 का वित्त लेखे)

उपरोक्त को देखते हुए राज्य का राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा जो कि क्रमशः ₹ 6,896.65 करोड़ एवं ₹ 13,806.76 करोड़ था वास्तव में ₹ 6,295.90 करोड़ एवं ₹ 14,407.51 करोड़ होगा। राज्य के प्रदर्शन पर समग्र प्रभाव का वर्णन **कंडिका 1.1.2** में किया गया है।

3.12 असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 177 के अनुसार, यदि धन का अग्रिम आहरण होता है तो ऐसी आहरित राशि का अव्ययित शेष अगले विपत्र में न्यून आहरण अथवा चालान, जो पहला संभावित अवसर हो, द्वारा कोषागार में वापस जमा करना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक जमा होनी चाहिए जिसमें यह आहरित हुई है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना होगा कि आकस्मिक विपत्रों पर आहरित धन को उसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाएगा एवं अव्ययित राशि को वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार में प्रेषित किया जाएगा।

यह पाया गया कि आठ विभागों/संगठनों के कार्य विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित अस्थायी अग्रिम की ₹ 184.52 करोड़ की राशि 31 मार्च 2019 तक समायोजन हेतु लंबित थी, जो कि वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व कोषागार में वापसी हेतु योग्य थी। आगे, ₹ 25.46 करोड़ की राशि इन कार्य विभागों में अग्रदाय के रूप में भी पड़ी थी। 31 मार्च 2019 तक विभागवार/संगठनवार लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय को **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: मार्च 2019 को असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग/संगठन का नाम	अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1.	भवन निर्माण	5.45	7.08	12.53
2.	सिंचाई	25.25	1.65	26.90
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग	0.78	0.09	0.87
4.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.15	0.48	8.63
5.	पथ निर्माण	67.43	0.29	67.72
6.	ग्रामीण कार्य	5.96	10.31	16.27
7.	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	59.48	5.33	64.81
8.	लघु जल संसाधन	12.02	0.23	12.25
कुल		**184.52**	**25.46**	**209.98**

(स्रोत : वर्ष 2018–19 का वित्त लेखे)

अनुशंसा: *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी असमायोजित अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदायों की समीक्षा करनी चाहिए, उसके तत्काल समायोजन के लिए कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए तथा वैसे कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर अस्थायी अग्रिमों एवं अग्रदायों को समायोजित/वापस नहीं किया है।*

3.13 राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

15 नवम्बर 2000 से प्रभावी समग्र बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशक के बाद भी, उत्तरवर्त्ती राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच पूँजी (मुख्य शीर्ष 4059 से 5475), ऋणों एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6202 से 7615) तथा भाग–III के अधीन लोक खातों (रिजर्व बैंक में जमा को छोड़कर) के अंतर्गत ₹ 11,148.69 करोड़ की शेष राशि को विभाजित किया जाना शेष है।

आगे, बिहार एवं झारखण्ड के बीच तब के मौजूद 12 सा0क्षे0उ0[14] के परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विभाजन का निर्णय (सितम्बर 2005) लिया गया था। यथापि, सितम्बर 2019 तक केवल पाँच सा0 क्षे0 उ0[15] के संबंध में इस प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है।

अनुशंसा: *राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्त्ती राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के बीच* ₹ *11,148.69 करोड़ की शेषों को शीघ्रता से विभाजन करना चाहिए।*

पटना
दिनांक: 2 अगस्त 2020

(डॉ0 नीलोत्पल गोस्वामी)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 5 अगस्त 2020

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

14 बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड, बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

15 बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।